Kabra Drugs Limited

CIN NO : L02423MP1989PLC005438

Corp. Off : No.3, 2nd Floor, Swaminathan Street, West Mambalam, Chennai - 600 033.

To
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
21st Floor, Dalal Street
Mumbai – 400 001

17 November 2025

BSE Scrip Code: 524322

Subject: Newspaper Advertisement of extract of Unaudited Financial results for the Quarter and Half yearly ended on September 30 2025

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has given Newspaper Advertisement of Unaudited Financial Result for the Quarter and half yearly ended September 30 2025 in:

1. English Newspaper – Free Press Newspaper and
2. Regional Language Newspaper (Hindi) –Navbharat Newspaper

Kindly take the same on your record and oblige us.

Thanking you,

Yours sincerely,

For Kabra Drugs Limited

NANJAPPAN ARAVIND
Digitally signed by NANJAPPAN ARAVIND
Date: 2025.11.17 16:08:38 +05'30'

KABRA DRUGS LIMITED

Managing Director

DIN:01895602

Regd Off: 208, Swadesh Bhavan, 2 Press Complex, AB Road, Indore, Madhya Pradesh – 452 011. Phone : +91 9884624100

Phone : +91 - 44 - 4356 4679 Email : kabradrugs@gmail.com

ROHINI OUTBURST | Malviya takes a jibe at the Yadav family feud, wondering if the powerful political family was even capable of governing Bihar

'ANTI-WOMAN, PATRIARCHAL, MENTALITY OF LALU'S FAMILY'

IANS
NEW DELHI

The BJP on Sunday trained its guns on the "patriarchal, anti-woman, and male-dominated mentality" of the family of RJD President and former Bihar chief minister Lalu Prasad Yadav.

Pointing to the public outburst of Lalu Prasad Yadav's daughter Rohini Acharya, BJP leader Amit Malviya took a jibe at the Yadav family feud, wondering if the powerful political family was even capable of governing Bihar.

"Rohini Acharya donated her kidney to her father, Lalu Prasad, without caring for her own life, so that his life could be extended for some time. But Lalu gave more preference to his son Tejashwi than to the honour of his daughter Rohini," said Malviya, in charge of the BJP's National Information and Technology Department, in a post on X.

He said, "Today, Rohini Acharya is publicly saying that she was even beaten with slippers in the family. This is the real face of the patriarchal, anti-woman, and male-dominated mentality of the Lalu family. It is also inappropriate to expect respect for women from them."

Malviya also took a dig at the bickering within the Rashtriya Janata Dal (RJD) and the Congress after the Mahagathbandhan's crushing defeat in the Bihar Assembly elections, describing the alliance as an opportunistic grouping.

"The Mahagathbandhan was never about principles — it was an opportunistic stitch-up held together by corruption and self-interest. The people of Bihar saw through it. They chose stability, development and integrity by voting decisively for the NDA," he said.



RJD chief Lalu Yadav with his daughter Rohini Acharya

'WILL FACE DIRE CONSEQUENCES'

PATNA: Tej Pratap Yadav, the Janshakti Janta Dal (JJD) and the elder son of RJD supremo Lalu Prasad Yadav, reacted angrily to the 'insult' meted out to his sister Rohini Acharya, saying that the people of Bihar won't accept such injustice to its daughter and the traitors (referring to Jaichands) will be booted out of the party. Tej Pratap, who maintains no ties with the family and party following his sacking, took to social media to vent his anger and indignation over the incident that exposed the deep divide within the party, spilling into the family, after its debacle in the Bihar Assembly elections.

'Should've never happened with Rohini'

Sadhu Yadav, brother of former Bihar Chief Minister Rabri Devi, on Sunday criticised the alleged treatment meted out to RJD chief Lalu Prasad Yadav's daughter, Rohini Acharya, saying that such behaviour towards a daughter of the family should never have occurred. Speaking to IANS, Sadhu Yadav said, "Rabri Devi is my sister and I too have endured many things, but I have never spoken a single word against my own sister. What is being heard, what people are saying, is wrong. She (Rohini Acharya) is my niece, a daughter of our family and a daughter of Bihar."

'Always considered his family as my own'

Union Minister Chirag Paswan reacted with deep empathy to the revelations made by Rohini Acharya and remarked that he has always considered the RJD chief's family as my own. Speaking to reporters, Chirag said, "I will not comment on this because when a family goes through such difficult circumstances, I can understand the mental state they are in, as I have also been through similar situations. We may have had political differences, but I have always considered Lalu ji's family as my own. I have always regarded Tejashwi, Tej, Misa, Rohini, and others as my brothers and sisters..."

BLO ends life in Kerala; SIR-related job stress blamed

PTI
KANNUR (KERALA)

A school employee, who was working as a Booth Level Officer (BLO) as part of the upcoming local body elections, was found hanging in his house in this north Kerala district on Sunday, police said.

Local people and his family members alleged that Aneesh George (44) took the extreme step due to work pressure in connection with the Special Intensive Revision (SIR) of the electoral rolls.

George was working as a peon in a government school in Payyannur.

Police said he was found hanging in the hall of the first floor of his house in Payyannur. It is said that the man had been under pressure for some time in connection with the BLO duties, according to the FIR.

Jan Suraaj's poll debacle puts spotlight on political 'startups'

PTI
NEW DELHI

The debacle of Prashant Kishor's Jan Suraaj party in the Bihar assembly elections has put the spotlight on the phenomenon of several such political 'startups' sprouting in the crowded political battleground but very few becoming 'unicorns'.

While the Jan Suraaj may be the latest to bite the dust, there have been other parties that created a strong buzz but failed to succeed at the hustings such as ***actor-turned-politician Kamal Haasan's Makkal Needhi Maiam, which drew a blank in the 2021 Tamil Nadu assembly polls***.

Going forward, all eyes are now on the Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), founded last year by actor-turned-politician Vijay. The party has created a strong buzz and with several political 'startups' formed by movie stars doing well in the past in the South, there are high expectations from it in the Tamil Nadu assembly polls next year.

There are very small 'startup' parties as well such as the ***Plurals party in Bihar headed by Pushpam Priya Choudhary***. Her party has contested two consecutive assembly polls in Bihar but drew a blank in both.

Then there are small parties that have limited ambitions and survive in pockets such as ***Jitan Ram Manjhi's Hindustani Awam Morcha (Secular) and Upendra Kushwaha's Rashtriya Lok Morcha***.

In Uttar Pradesh, there are parties like ***NISHAD Party, Peace Party, Apna Dal (Sonelal) and Suheldev Bharatiya Samaj Party (SBSP).***

In India, parties keep getting formed and disappear after a poor showing at the hustings.

3 Naxalites with Rs 15 lakh bounty killed in encounter in Chhattisgarh

PTI / SUKMA

Three Naxalites, carrying a collective reward of Rs 15 lakh, were killed in an encounter with security personnel in Chhattisgarh's Sukma district on Sunday, police said.

The gunfight broke out in the forested hills of Tumalpad village along the border of Bhejji and Chintagufa police station area in the morning when a team of District Reserve Guard (DRG) was out on an anti-Naxalite operation. They had inputs about the presence of Maoist cadres in the region, Sukma Superintendent of Police Kiran Chavan told PTI. The intermittent exchange of fire lasted for a long time, following which bodies of three Naxalites, including two women, were recovered from the spot, he said. A .303 rifle, Barrel Grenade Launchers (BGLs), other weapons and explosives were also seized from the encounter site, the official said. The killed ultras were identified as area committee member Madvi Deva, CNM (Chetna Natya Mandli- a cultural outfit of Maoists) commander Podiam Gangi and Kistaram area committee member Sodhi Gangi, both women, Chavan said, adding they all carried a reward of Rs 5 lakh each.

Speculations rage about future of INDIA bloc in UP after Bihar election results

PTI
LUCKNOW

The results have not only boosted the morale of the ruling BJP, but have also introduced fresh doubts, tensions, and strategic recalculations in the opposition camp

The sweeping victory of the BJP-led NDA in the Bihar Assembly elections has caused ripples across the country, but perhaps more pronounced in politically crucial Uttar Pradesh, where Assembly elections are due in 2027.

Political circles across Uttar Pradesh are abuzz with conversations about whether the model that helped the opposition secure substantial gains against the NDA in the 2024 Lok Sabha elections can survive the shockwave sent from neighbouring Bihar.

Prime Minister Narendra Modi's sharp political attack -- calling the Congress "Muslim League" and a "Maoist" party and predicting an impending split in the party -- has further intensified the debate. His remarks are being interpreted as not just an assessment of the Congress' internal state but also as a strategic attempt to shape the political narrative ahead of the 2027 Assembly elections.

Political observers in Lucknow now believe that PM Modi's comments will spark ideological as well as strategic discussions within the state's political framework. Parties desperate to revive themselves or retain their relevance will now look for a new benchmark of performance and organisational discipline in the face of the NDA's renewed confidence after the Bihar results.

The psychological battle in politics -- often as decisive as the electoral one -- appears to have already begun.

Samajwadi Party (SP) chief Akhilesh Yadav reacted swiftly to the Bihar verdict, calling the BJP "not a party but a fraud" while also conceding that there is still much that the opposition parties can learn from the BJP's electoral strategy.

Tharoor condemns Assamin's 'Gobi farming' post

PTI
NEW DELHI

As Assam minister Ashok Singhal's "Bihar approves Gobi farming" remark sparked a row with opposition leaders alleging it was "glorifying" the killing of Muslims in Bhagalpur in 1989, Congress MP Shashi Tharoor on Sunday condemned the social media post, saying neither the Hindu faith nor nationalism justifies or condones such massacres, let alone applauds them.

An X user replied to Singhal's post, saying that a cabinet minister, no less, is "glorifying the massacre of 116 Muslims to celebrate an election victory".

He tagged Tharoor and asked if the senior Congress leader could get a few influential Hindu leaders to condemn this "normalisation of one of the worst pogroms perpetuated against Bihari Muslims".

When another user said that he did not condemn the post, Tharoor responded, "That's exactly what I did! I condemned it."

THE REMARK

"Bihar approves Gobi farming," Singhal had posted on X on Friday with an image of a cauliflower field after the NDA win in assembly polls. It evoked a strong response from many online who said the cauliflower image was an apparent reference to the 1989 Bhagalpur violence in Bihar, in which many Muslims were killed and buried in farmland where cauliflower saplings were later planted to conceal the bodies.



Responding to the post, Tharoor said, "I'm not a community organiser, so joint statements are not my job. But as a passionate advocate of #InclusiveIndia and a proud Hindu, I can speak for myself, and for most Hindus I know, in saying that neither our faith nor our nationalism requires, justifies or condones such massacres, let alone applauds them."

Sonbhadra stone quarry collapse kills labourer; around dozen trapped

PTI
SONBHADRA

A 30-year-old mine worker's body was recovered from the rubble on Sunday morning from a stone quarry that collapsed here, a police officer said.

Several more remain trapped under the rubble.

Uttar Pradesh minister and local MLA Sanjeev Kumar Gond, who visited the spot in the Billi Markundi mining area after the collapse on Saturday evening, said "around a dozen labourers" might be trapped under the debris.

Additional Director General of Police (ADG), Varanasi Zone, Piyush Mordia, said efforts are on to clear the debris.

Police identified the deceased labourer as Raju Singh of Panari village of the same district.

The ADG said clearing the rubble is taking time because it includes several heavy stones.



Rescue operation underway after a portion of a stone quarry collapsed in Sonbhadra, Uttar Pradesh

KABRA DRUGS LIMITED
CIN: L02423MP1989PLC005438
Reg Off: 208, Swadesh Bhavan, 2 Press Complex, AB Road, Indore, Madhya Pradesh – 452011

Statement of Unaudited financial results for Quarter & Half Year Ended on 30/09/2025

(Rs. In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2025	Quarter Ended 30.09.2024	Half Year Ended 30.09.2025
1	Total income from operations	1,994.27	-	2,710.88
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	220.51	(39.60)	170.53
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	220.51	(39.60)	170.53
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	183.68	(39.67)	133.70
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)	183.68	(39.67)	133.70
6	Equity Share Capital (Face Value 10/-)	2,370.79	1,007.91	2,370.79
7	Other Equity	-	-	228.38
8	Earning Per Share (Basic / Diluted	0.77	(0.39)	0.56

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Half Year ended Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half Year ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com)

For Kabra Drugs Limited
Sd/-
N.Aravind, Managing Director
DIN:01895602

Date : 13.11.2025
Place : Chennai

PUBLIC NOTICE
INTRODUCTION OF AC 25 KV TRACTION
" WARNING TO ROAD USERS "

Notice is hereby given to all users of Railway lines and premises situated on the completed section of the under noted section of the Vadodara Division of Western Railway that the 25000 Volts, 50 Hz. AC overhead traction wires will be energized on or after the date 17.11.2025. On and from the date, the overhead traction line shall be treated as live at all times and no unauthorized person shall approach or work in the proximity of the said overhead lines.

Section	Date
Single Line Section Jobat (Excl.) (Km 175/13 Ch: 175/600.00) to Dekakund (Incl.) (Km 187/13 CH: 187/586.00) in connection with New line project between Chhotaudepur to Dhar section of Vadodara Division of Western Railway.	On or after 17.11.2025

It is notified for information of the public that in connection with introduction of 25KV AC electric traction over the section **" Single Line Section Jobat (Excl.) (Km 175/13 Ch: 175/600.00) to Dekakund (Incl.) (Km 187/13 CH: 187/586.00) in connection with New line project between Chhotaudepur to Dhar section of Vadodara Division of Western Railway.**, height gauges have been erected at all the level crossings with clear maximum height 4.78m above road level with a view to prevent loads of excessive height from coming into contact or dangerous proximity to live traction wire (contact wire), which shall be at a height of minimum 5.5 m above the rail level at level crossing.

Public are hereby noticed to observe that height specified above for the purpose of loading vehicles and to see that the load carried in road vehicles do not infringe the height gauges under any circumstances.

The dangers of a load of excessive height are as follows: - 1. Dangers to the height gauge and consequent obstruction to the road as well as the Railway line. **2.**Danger to the materials of equipment carried on the vehicles itself. **3.** Danger of fire and risk of life due to contact with or dangerous proximity to the conductors.

WESTERN RAILWAY
wr.indianrailways.gov.in
0785

Like us on : facebook.com/WesternRly | Follows us on : X.com/WesternRly

97.5% enumeration forms distributed in SIR Phase II: ECI



Booth Level Officers (BLOs) conduct door-to-door visits to verify voter information in West Bengal (FILE PIC)

NEW DELHI: The Election Commission of India (ECI) on Sunday released its 3:00 PM Daily Bulletin for November 16, announcing near-complete progress in the ongoing Special Intensive Revision (SIR) Phase II of electoral rolls.

According to the bulletin, all 12 participating States and Union Territories have achieved 100 per cent printing of elector-specific Enumeration Forms (EFs), while distribution has crossed 97.5 per cent overall.

The SIR Phase II, which runs from November 4 to December 4, 2025, involves door-to-door verification and updating of voter details through Booth Level Officers (BLOs) and Booth Level Agents (BLAs) appointed by recognised political parties.

Of the 50.99 crore electors covered in this phase, the ECI reported that 50.97 crore forms (99.95 per cent) have been printed and 49.73 crore (97.52 per cent) have already been distributed to voters.

Bandhan Bank
Regional Office: Netaji Marg, Nr. Mithakhali Six Roads, Ellisbridge, Ahmedabad-6. Phone: +91-79-26421671-75

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

NOTICE is hereby given under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorized Officer issued demand notice to the borrower(s) on the date mentioned against the account stated hereinafter calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice. The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the public in general and in particular the borrower(s) that the undersigned has taken the symbolic possession of the property described herein below under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the date mentioned against the account. The borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of the Bank for the amounts, interest, costs and charges thereon. The borrowers'/mortgagors' attention is invited to the provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of borrower(s), Guarantor & Loan Account No.	Description of the property mortgaged (Secured Asset)	Date of Demand Notice	Date of Symbolic Possession Notice	O/s Amount as on date of Demand Notice
Mr.Kalu Jagdish Mrs.Basanti Kalu 20008210002514 20008210003565	All That Part And Parecl Of The Property Consisting Plot No. C103, Shri Nath Town Bhatkhedi Mhow, Indore Dist. Indore Madhya Pradesh, Land Admeasuring 400 Sq.Ft.. Owned By Mr. Kalu Jagdish S/O Jagdish, Mrs. Basanti Kalu W/O Kalu Ram Bounded As Under: North: Plot No.C-104, East: Plot No.C-96, West: Colony Road, South: Plot No.C-102	January 22, 2025	November 11, 2025	Rs.6,12,885.76
Mr.Premchand Rathore Mr.Gopal Rathore Mrs.Suman Gopal 20008140006791	All The Piece Or Parcel Of Property Situated At Survey No 6/2, 4/1/2/2, Plot 347 South Part Samarth Dream City Nainod Indore M.P. Owned By Premchand Rathore S/O Gopal Rathore Bounded As Under: North: Rest Part Of Said Plot, East: Plot No 405 & 406, West: Colony Road, South: Plot No 346	February 26, 2025	November 11, 2025	Rs.10,40,169.14
Mr.Shyamlal Parmar Mrs.Raju Bai 90000000746213	All That Piece And Parcel Of Property Along With All Present And Future Structures At Survey No75/1, Plot No.260, Village Kalibillod Tehsil Depalpur District Indore Madhya Pradesh -453001, Area 600 Sq.Ft. Owned By Mr.Shyamlal Parmar And Same Bounded As Under: North: Plot No.259, East: Road, West: Other Land, South: Plot No.261	April 29, 2025	November 11, 2025	Rs.5,24,956.01 /-
Mr.Pirulal Gangaram Mrs.Gita Bai 20008210003704	All That Piece And Parcel Of Property At Plot No. C-91, Shreenath Town, Village Bhatkhedi, Mhow Tehsil Mhow District Indore Madhya Pradesh -453441, Land Admeasuring Area 400 Sq.Ft.. Owned By Mrs.Gita Bai Bounded As Under: North: Plot No.C-90, East: Road Of Colony, West: Plot No.C-108, South: Plot No.C-92	April 29, 2025	November 11, 2025	Rs.5,11,682.58
Mr.Mahesh Rathore Mrs.Rakesh Rathod Mr.Banshi Lal Rathod Mrs.Maya Rathod 20008210001112 20008210001761	All That Part And Parcel Of Property Along With All Present And Future Structures At Survey No.1059/1/2/3/4/5, 1060/1/2/3/4, 1062/1/2/3, Plot No. West Part 11A, Gram Dhannad, Utkarsh Paradise, Depalpur, Indore, M.P. Bounded As Under: North: Bhukhand Kramank 10- A, East: Bhukhand Kramank 11, West: Bhukhand Kramank 11-B, South: Colony Ka Rasta	December 07, 2024	November 12, 2025	Rs.3,83,055.74/-
Mr.Sunil Vishnoi Sangeeta Bai Vishnoi 90000000570731 20008340001867	All That Piece And Parcel Of Property Khasra No. 238/6, Min 1, PH.No. 63, Near Police Station, Indore Road, Ward No 2, Nemawar, Dist Dewas, Madhya Pradesh 461331. Owned By Sangeeta Bai Vishnoi And Same Bounded As Under: North: Rathore Dharmshala, East: Plot Of Gayatribai Hariprasad, West: Remaining Property Of Seller, South: Road	July 29, 2025	November 12, 2025	Rs.17,50,984.32

Place: Indore
Date: November 17, 2025

Authorised Officer
Bandhan Bank Limited

JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Corporate Identification No.: U67190MHZ007PLC174287
Regd. Office: 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400025
Authorised Officer: Prashant Monde Email- queries.arc@jmfl.com, Phone + 022 6224 1676
Website: www.jmfinancialarc.com

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES
[See proviso to Rule 8(6), provision to Rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

E-auction sale notice for sale of immovable assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (**"SARFAESI Act"**) read with proviso to Rules 8(6), and proviso to Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (**"Enforcement Rules"**).

Notice is hereby given to the public in general and in particular to **Sayyed Tofiq Ali ("Borrower(s)"), Tahir Ali & Mubina Bee ("Co-borrower(s)")** that the below described immovable mortgaged to JM Financial Asset Reconstruction Company Limited, acting in its capacity as trustee of AC Retail September 2024 - Trust (**"Secured Creditor"**), the Physical Possession of which has been taken over by the Authorised Officer of Tyger Capital Private Limited (formerly Adani Capital Private Limited) (**"Tyger"**) (subsequently assigned to JMFARC) on 07-05-2025 will be sold on **"As is where is", "As is what is", and "Whatever there is"** basis, for outstanding of **Rs. 5,23,080/- as on 15-11-2024** due to the Secured Creditor (for the loans assigned by Tyger against the properties mentioned in the table below, together with interest at contractual rate and expenses, costs, charges, etc. due thereon till the date of final payment (reducing the recoveries made till date) from the Borrower(s)/Co-borrower(s).

Detailed description of the secured immovable their reserve price, and the earnest money deposit is as mentioned in the table below:

Loan No.	**108MSM001129339**
Description of the secured immovable	All That Piece And Parcel Of Residential Property, Ward No.- 06, House No. 366, Admeasuring 616 Sq. Ft. I.E. 57.24 Sq. Mtr.., Phn - 34, Situated At Gram- Sundarsi, Tehsil Polaykalan, Dist. Shajapur, Madhya Pradesh-465113, And **Bounded As: East-** House Of Moinuddin, **West-** Self House, **North-** House Of Sajid Ali, **South-** Local Way
Reserve price (In Rs.)	**4,50,000/-**
EMD (In Rs.)	**45,000/-**
Date of Inspection	**20-11-25 & 4-12-25**
Last date for submission of online application for bids (along with EMD deposited as mentioned above)	**09-Dec-25**
Date of E-auction	**10-Dec-25**

(Note: above properties are owned by Sayyed Tofiq Ali & Mubina Bee)
Encumbrances known, if any: Not known to the Secured Creditor to the best of its knowledge
Date of Inspection: 20-11-25 & 4-12-25
Last date for submission of online application for bids (along with earnest money deposit as mentioned above).
For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided on the Secured Creditor's website i.e. **https://www.jmfinancialarc.com/Home/AssetsForSale** OR **https://www.bankauctions.in**

Sd/-
Date: 17-Nov-25
Place: Shajapur
Authorised Officer
JM Financial Asset Reconstruction Company Limited
(Acting in its capacity as trustee of AC Retail September 2024 – Trust

करारी हार के बाद पार्टी के भीतर छिड़ी जंग

परिवार में घमासान से राबड़ी आवास खाली

पटना, 16 नवंबर. बिहार की राजनीति इन दिनों उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है. करारी हार के बाद पार्टी के भीतर छिड़ी कलह अब खुलकर सामने आ चुकी है और निशाने पर हैं तेजस्वी यादव के सबसे विश्वस्त माने जाने वाले संजय यादव. लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा एयरपोर्ट पर दिया गया बयान राजनीतिक गलियारों में सनसनी बन गया है. रोहिणी ने न सिर्फ संजय पर परिवार तोड़ने का आरोप लगाया, बल्कि राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी बनाने का भी ऐलान कर दिया. यह हमला



अचानक नहीं हुआ. तेज प्रताप यादव पहले से ही संजय को पार्टी में फूट की वजह बताते आए हैं. आरजेडी की सिर्फ 25 सीटों पर सिमटने की बड़ी हार ने इन आरोपों को और हवा दे दी है. सूत्रों का दावा है कि टिकट बंटवारे में संजय की भूमिका को लेकर कई नेता महीनों से नाराज थे.

तेज प्रताप बोले- रोहिणी पर चप्पल उठाना असहनीय

बिहार के राजद परिवार में भाई-बहन के बीच विवाद ने नई उंगलियां उठाई हैं. लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के परिवार पर



लगाए गए सनसनीखेज आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है. चुनावों में पार्टी की करारी हार के बाद रोहिणी ने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया था और आरोप लगाए कि उन्हें मारने के लिए चप्पल तक उठाई गई. तेज प्रताप ने इस घटना को परिवार और बिहार की गरिमा पर हमला बताया.

लालू परिवार में मचे घमासान के बाद लालू प्रसाद की तीन बेटी पटना से रवाना हो गई हैं. अपने परिवार और बच्चों के साथ रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव दिल्ली रवाना हुई. आपको बता दें कि लालू परिवार में इस समय भयंकर घमासान मचा हुआ है. उनकी बेटी रोहिणी परिजनों द्वारा उनका अपमान किए जाने की बात कही है. उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है. तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने पहले ही पार्टी और परिवार से निकाल दिया था. उन्होंने संजय यादव और रमीज पर दबाव डालने का आरोप लगाया. साथ ही एक्स पोस्ट के जरिए तेजस्वी यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए. बहन रोहिणी का दर्द देख तेज प्रताप भी भड़क उठे थे. रोहिणी आचार्य दिल्ली से सिंगापुर के किए रवाना हुईं. सिंगापुर जाने से पहले रोहिणी मीडिया से रूबरू हुई. इस दौरान वह काफी भावुक दिखाई दे रही थी. उन्होंने कहा कि संजय यादव, रीचल यादव से पूछिए - तेजस्वी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया. उन्होंने चप्पल उठाने की बात को भी सही बताया. रोहिणी ने कहा कि जिस समय ये सब हो रहा था, उस समय मेरे माता-पिता रो रहे थे. बता दें कि रोहिणी ने रविवार को दो बार ट्वीट करने अपनी पीड़ा को बयां किया था. सिमें उन्होनें कहा था कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं. और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी.

चीन ने सागर में तनाव को और बढ़ाने से बचने का किया आग्रह

बीजिंग. चीन ने फिलीपींस से 'उकसाने वाली कार्रवाइयों' को रोकने और दक्षिण चीन सागर में तनाव को और बढ़ाने से बचने का आग्रह किया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की दक्षिणी थिएटर कमान के प्रवक्ता तियान जुनली ने रविवार को यह जानकारी साझा की. रक्षा मंत्रालय ने श्री तियान के हवाले से कहा-'फिलीपींस तथाकथित 'संयुक्त गश्त' आयोजित करने में बाहरी ताकतों को शामिल करना जारी रखे हुए है, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंच रहा है.

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह

नई दिल्ली, 16 नवंबर. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 17 नवंबर (सोमवार) को हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे.उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं. परिषद की इस बैठक में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे. यह बैठक अंतर-राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत



सरकार द्वारा हरियाणा सरकार की मेज़बानी में आयोजित की जा रही है. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के तहत उत्तरी क्षेत्रीय परिषद सहित 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है.

कफ सिरप केस में 28 लोगों के खिलाफ केस

वाराणसी. उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कोडीन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप प्रकरण में शनिवार को अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल सहित 28 कारोबारियों के खिलाफ कोतवाली में मामले दर्ज किए गए है. गाजियाबाद पुलिस द्वारा कुछ दिनों पहले प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा किया गया था. इस मामले के तार जुड़ते हुए मुख्य आरोपी मैदागिन निवासी शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद तक पहुंचे हैं. इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और पुलिस की जांच में पाया गया कि करोड़ों रुपये की प्रतिबंधित कफ सिरप बेची और खरीदी गई.

युवाओं को सशक्त बनाने की पहल

नागपुर, 16 नवबंर. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) द्वारा अपने संचालन क्षेत्रों के युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों तथा अन्य वर्दीधारी सेवाओं में भर्ती की तैयारी हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से सीएसआर पहल 'प्रोजेक्ट संदीप' का शुभारंभ किया है.

14 नवम्बर को वेकोलि मुख्यालय, नागपुर स्थित संस्कृतिक भवन में आयोजित उद्घाटन समारोह में श्री जे. पी. द्विवेदी, सीएमडी, वेकोलि ने 'प्रोजेक्ट संदीप' का उद्घाटन किया. समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री आनंदजी प्रसाद, निदेशक तकनीकी, डॉ. हेमंत शरद पांडे, निदेशक (मानव संसाधन), वेकोलि, एयर वाइस मार्शल श्री विजय वानखेड़े, कर्नल श्री अंशित

वेकोलि ने प्रोजेक्ट संदीप का शुभारंभ किया



श्रीवास्तव, निदेशक भर्ती, भारतीय सेना तथा श्री ऋषिकेश सोनवणे, पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, नागपुर की उपस्थिति रही. प्रोजेक्ट संदीप का नाम, अशोक चक्र प्रदत्त, शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के नाम से प्रेरित है. अत: उद्घाटन समारोह की शुरुआत शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को पुष्पांजलि अर्पित कर हुई. कार्यक्रम में उनके माता-पिता, श्री के. उन्नीकृष्णन और श्रीमती धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन ने रिकार्डेड संदेश के माध्यम से नव-चयनित संदीप कैडेट्स को आशीर्वचन एवं प्रेरणादायी संदेश दिया.

ट्रेलर-टैम्पो की टक्कर से छह लोगों की मौत

जोधपुर, 16 नवंबर. राजस्थान में जोधपुर के बालेसर थाना क्षेत्र में रविवार को ट्रेलर और टैम्पो की टक्कर में टैम्पो सवार छह लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। थानाधिकारी मूल सिंह भाटी ने बताया कि गुजरात के बनासकांठा एवं धनसुरा के लोग टैम्पो से राजस्थान में रामदेवरा जा रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर खारी बेरी गांव के पास सुबह करीब पांच बजे अनाज की बोरियों से भरे एक ट्रेलर से टेम्पो टकरा गया। इस टक्कर में तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घायलों को बालेसर के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर के मथुरादास अस्पताल भेजा गया.

अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकी मॉड्यूल चलाने की तैयारी

डॉ. शाहीन 10 साल से जैश से जुड़ी-दिल्ली धमाके में खुलासा

नौकरी छोड़कर बोली कौम का कर्ज उतारना है

नई दिल्ली, 16 नवबंर. दिल्ली के सुभाष मार्ग पर 10 नवंबर को हुए भीषण धमाके में 13 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायलों का इलाज अभी जारी है. लेकिन इस विस्फोट की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, आतंकी साजिश की परतें चौंकाने वाले खुलासे कर रही हैं.

सबसे बड़ा खुलासा यह कि इस ब्लास्ट की प्लानिंग किसी हार्डकोर आतंकी ने नहीं, बल्कि पढ़े-लिखे मेडिकल प्रोफेशनल्स की एक तिकड़ी ने की जिनमें लखनऊ की डॉ. शाहीन सईद,



फरीदाबाद के डॉ. उमर और डॉ. मुजम्मिल शामिल हैं. अधिकारियों के मुताबिक, शाहीन पिछले 10 साल से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी हुई थी और 2015 में इस नेटवर्क में शामिल हुई थी.

शाहीन 2015 से ही जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में थी

डॉ. उमर, डॉ. मुजम्मिल और लखनऊ की डॉ. शाहीन सईद. ये तीनों फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे, जहां से इन्होंने अपने नेटवर्क को मजबूत किया. जैश के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि शाहीन 2015 से ही जैश-ए-मोहम्मद से संपर्क में थी. उसकी कट्टरपंथ की जड़ें इतनी गहरी थीं कि 2021 में उसने पति, बच्चे और नौकरी तक छोड़ दी. जब एक रिश्तेदार ने इसका कारण पूछा, तो उसका जवाब था-परिवार और नौकरी में क्या रखा है. अब कौम का कर्ज उतारने का समय है. यह बयान जांच एजेंसियों को दिखाता है कि किस तरह ब्रेनवॉश कर मेडिकल प्रोफेशनल्स को आतंकी गतिविधियों में धकेला जा रहा है.

आज का इतिहास

1526 - मुगल शासक बाबर ने सिंध के रास्ते पांचवीं बार भारत में प्रवेश किया और इस बार यहां अपना शासन कायम करने में सफल रहा।

1869- भूमध्यसागर को लाल सागर से जोड़ने वाली सोएज नहर को दस साल के निर्माण कार्य के बाद नौवहन के लिए खोला गया।

1915 - विष्णु गोपाल पिंगले को पुणे के निकट तालेगांव जेल में फांसी पर लटकाया गया।

1928- लाजपत राय का निधन।

1932 - तीसरा गोल मेज सम्मेलन शुरू हुआ।

1966- भारत की रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड खिताब जीता। वह यह खिताब जीतने वाली एशिया की पहली महिला बनीं।

1966- सोवियत संघ ने अपना एक मानवरहित सुदूर नियंत्रित यान चंद्रमा की सतह पर उतारा।

1989-चेकोस्लोवाकिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को पुलिस ने बेदर्दी से कुचला। हालांकि विरोध की इस आग ने उग्र रूप धारण कर लिया और अंततः देश की कम्युनिस्ट सरकार को इस्तीफा देना पड़ा।

सोनभद्र हादसे में खनन कंपनी के मालिक समेत 3 पर एफआईआर

सोनभद्र, 16 नवंबर. उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर बड़ा खदान हादसा हुआ. अल सुबह करीब 3 बजे खनन के दौरान एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे आ गिरा, जिससे मौके पर काम कर रहे लगभग डेढ़ दर्जन मजदूर मलबे के नीचे दब गए. हादसे में एक मजदूर की मौत की पुष्टि के बाद मृतक के भाई छोटू यादव की तहरीर पर ओबरा कोतवाली में माइनिंग कंपनी के मालिक समेत तीन लोगों के खिलाफ स्त्रकृ दर्ज कराई गई है. हादसे के बाद भी घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान जारी है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई हैं.

काबरा ड्रग्स लिमिटेड

CIN: L02423MP1989PLC005438

पंजीकृत कार्यालय : 208, स्वदेश भवन, 2 प्रेस कॉम्प्लेक्स, एबी रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452011

30/09/2025 को समाप्त तिमाही और अर्धवार्षिक के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(लाखों रुपये में)

क्र.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2025	समाप्त तिमाही 30.09.2024	समाप्त अर्धवार्षिक 30.09.2025
1.	परिचालन से कुल आय	1,994.27	-	2,710.88
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पूर्व)/ असाधारण और/या असाधारण मदें)	220.51	(39.60)	170.53
3.	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि), (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	220.51	(39.60)	170.53
4.	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि), (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	183.68	(39.67)	133.70
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (लाभ/हानि सहित) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	183.68	(39.67)	133.70
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य) 10/-)	2,370.79	1,007.91	2,370.79
7.	अन्य इक्विटी	-	-	228.38
8.	प्रति शेयर आय (मूल/तनुकृत)	0.77	(0.39)	0.56

नोट :- उपरोक्त विवरण सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल तिमाही और अर्धवार्षिक परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है. तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है.

काबरा ड्रग्स लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरकर्ता/-
एन. अरविंद, प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01895602

दिनांक: 13.11.2025
स्थान: चेन्नई

गैर-परमाणु सिद्धांतों में होगा बदलाव

जापान के प्रधानमंत्री सुरक्षा नीति में कर रहे विचार-विमर्श

टोक्यो, 16 नवंबर. जापान के प्रधानमंत्री अपने उन 3 गैर-परमाणु सिद्धांतों की समीक्षा करने पर विचार कर रहे हैं जो उसे परमाणु हथियार नहीं रखने, उसका उत्पादन नहीं करने और जापानी क्षेत्र में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देते हैं.

जापान के प्रधानमंत्री के इस कदम से देश की सुरक्षा नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत मिल रहा है. जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची देश में लंबे समय से चले आ रहे उन तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों की समीक्षा करने पर विचार कर रहे हैं. क्योडो न्यूज के अनुसार प्रधानमंत्री के इस विचार से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद तय है. श्री ताकाइची जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और दो संशोधित दस्तावेजों



को अद्यतन करते हुए तीसरे सिद्धांत को भी संशोधित करने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि वे परमाणु हथियारों को जापान के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इस सिद्धांत में बदलाव किया जाता है तो यह देश की सुरक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा और इस पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद होना तय है.

गौरतलब है कि वर्ष 1967 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ईसाकु सातो ने देश की संसद डाइट में अपने तीन परमाणु सिद्धांतों की घोषणा करते हुए कहा था कि उनका देश अब न तो परमाणु हथियार रखेगा, न ही उनका उत्पादन करेगा और न ही जापानी क्षेत्र में परमाणु हथियारों के प्रवेश की अनुमति होगी. जापान में तब से इसे एक राष्ट्रीय सिद्धांत माना जाता है. वर्ष 1922 में कैबिनेट द्वारा जब राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अनुमोदित की गई, तब उस समय भी कहा गया, तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों का पालन करने की मूल नीति भविष्य में भी अपरिवर्तित रहेगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि श्री ताकाइची का परमाणु हथियार न रखने या उनका उत्पादन न करने के जापान के रुख को संशोधित करने का कोई इरादा नहीं है लेकिन उनका मानना है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति न देने से अमेरिकी परमाणु-सशस्त्र जहाजों के बंदरगाहों पर आने-जाने में बाधा आ सकती है, जिससे अमेरिकी परमाणु प्रतिरोध कमजोर हो सकता है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	138550291	संपत्ति पर ऋण	31.10.2025	रु.7,36,987.77/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. कारूलाल गायरी 2. विष्णु बाई

संपत्ति का पता: संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और भूखंड, कुल क्षेत्रफल 0.02 हेक्टेयर, डायवर्सन सर्वेक्षण संख्या 249, ग्राम- मेहंदी, पीएच नंबर 07पर स्थित, तहसील- जावरा, जिला- रतलाम, मध्य प्रदेश-457336, और इसकी सीमा इस प्रकार है- पूर्व- रमेश चमार की भूमि, पश्चिम- कच्चा रास्ता, उत्तर- कच्चा रास्ता, दक्षिण- झुझारलाल चमार की भूमि.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी /-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक: 17.11.2025
स्थान: रतलाम

हिन्दूजा लीलैंड फायनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : नं. 27ए, डेवेलप्ड इंडस्ट्रीयल ईस्टेट, गुइंडी, चैन्नई 600032 **CIN:** U65993MH2008PLC384221
शाखा कार्यालय : 212-214, दूसरी मंजिल, एवरशाईन टॉवर, अम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर- 302021

आधिपत्य सूचना सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, हिन्दूजा लीलैंड फायनेंस लिमिटेड (HLF) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए निम्न उल्लेखित उधारकर्ताओं को मांग सूचना(ए) निम्न उल्लेखित तिथि को जारी की थी।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ताओं एवं आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष रुप से उधारकर्ताओं एवं आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन हिंदुजा लीलैंड फायनेंस लिमिटेड द्वारा नीचे उल्लिखित राशि एवं उस पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।

ऋण खाता नं. RJJPJPC000013 **शाखा: जयपुर, उधारकर्ता : श्री सैय्यद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद हसन अली (ऋणी), मेसर्स सैय्यद अख्तर अली अपने साझेदार श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, मेसर्स ओवैस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग लिमिटेड, अपने निदेशक श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, मेसर्स एसएमओ फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, अपने निदेशक श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, श्री सैय्यद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैय्यद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली सैय्यद, श्री सैय्यद ओवैस अली पिता श्री सैय्यद अख्तर अली, श्री सैय्यद मुर्तुजा अली पिता श्री अख्तर अली सैय्यद, श्रीमती राफिया अली पति श्री सैय्यद अख्तर अली, श्री नियामत अली पिता श्री इनायत अली, श्री नूर अली पिता श्री इनायत अली, श्रीमती शमा बी पति श्री सैय्यद नियामत अली, ऋण खाता नं. RJJPJPC000013, मांग सूचना दिनांक: 18.08.2025. कुल बकाया रु. 9,96,14,490.58/- दिनांक 15.08.2025 तक, साथ ही उसपर ब्याज**

ऋण खाता नं. RJJPJPC000014 **शाखा: जयपुर, उधारकर्ता : मेसर्स एसएमओ फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, श्री सैय्यद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद हसन अली, मेसर्स सैय्यद अख्तर अली अपने साझेदार श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, ओवैस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग लिमिटेड अपने निदेशक श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, श्री सैय्यद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैय्यद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली सैय्यद, श्री सैय्यद ओवैस अली पिता श्री सैय्यद अख्तर अली, श्री सैय्यद मुर्तुजा अली पिता श्री अख्तर अली सैय्यद, श्रीमती राफिया अली पति श्री सैय्यद अख्तर अली, श्री नियामत अली पिता श्री इनायत अली, श्री नूर अली पिता श्री इनायत अली, श्रीमती शमा बी पति श्री सैय्यद नियामत अली, ऋण खाता नं. RJJPJPC000014, मांग सूचना दिनांक: 18.08.2025. कुल बकाया रु. 14,90,20,941.17/- दिनांक 15.08.2025 तक, साथ ही उसपर ब्याज**

ऋण खाता नं. RJJPJPC000015 **शाखा: जयपुर, उधारकर्ता : मेसर्स सैय्यद अख्तर अली अपने साझेदार श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, मेसर्स एसएमओ फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, श्री सैय्यद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद हसन अली, मेसर्स ओवैस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग लिमिटेड अपने निदेशक श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, श्री सैय्यद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली , श्री सैय्यद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली सैय्यद, श्री सैय्यद ओवैस अली पिता श्री सैय्यद अख्तर अली, श्री सैय्यद मुर्तुजा अली पिता श्री अख्तर अली सैय्यद, श्रीमती राफिया अली पति श्री सैय्यद अख्तर अली, श्री नियामत अली पिता श्री इनायत अली, श्री नूर अली पिता श्री इनायत अली, श्रीमती शमा बी पति श्री सैय्यद नियामत अली, ऋण खाता नं. RJJPJPC000015, मांग सूचना दिनांक: 18.08.2025. कुल बकाया रु. 14,81,72,037.35/- दिनांक 15.08.2025 तक, साथ ही उसपर ब्याज**

ऋण खाता नं. RJJPJPC000016 **शाखा: जयपुर, उधारकर्ता : मेसर्स ओवैस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग लिमिटेड अपने निदेशक श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, मेसर्स सैय्यद अख्तर अली अपने साझेदार श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, मेसर्स एसएमओ फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, श्री सैय्यद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद हसन अली, श्री सैय्यद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली , श्री सैय्यद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली सैय्यद, श्री सैय्यद ओवैस अली पिता श्री सैय्यद अख्तर अली, श्री सैय्यद मुर्तुजा अली पिता श्री अख्तर अली सैय्यद, श्रीमती राफिया अली पति श्री सैय्यद अख्तर अली, श्री नियामत अली पिता श्री इनायत अली, श्री नूर अली पिता श्री इनायत अली, श्रीमती शमा बी पति श्री सैय्यद नियामत अली, ऋण खाता नं. RJJPJPC000016, मांग सूचना दिनांक: 18.08.2025. कुल बकाया रु. 14,67,36,652.52/- दिनांक 15.08.2025 तक, साथ ही उसपर ब्याज**

ऋण खाता नं. RJJPJPC000017 **शाखा: जयपुर, उधारकर्ता : श्रीमती राफिया अली पति श्री सैय्यद अख्तर अली, मेसर्स ओवैस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग लिमिटेड अपने निदेशक श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, मेसर्स सैय्यद अख्तर अली अपने साझेदार श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, मेसर्स एसएमओ फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, श्री सैय्यद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद हसन अली, श्री सैय्यद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैय्यद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली सैय्यद, श्री सैय्यद ओवैस अली पिता श्री सैय्यद अख्तर अली, श्री सैय्यद मुर्तुजा अली पिता श्री अख्तर अली सैय्यद, श्री नियामत अली पिता श्री इनायत अली, श्री नूर अली पिता श्री इनायत अली, श्रीमती शमा बी पति श्री सैय्यद नियामत अली, ऋण खाता नं. RJJPJPC000017, मांग सूचना दिनांक: 18.08.2025. कुल बकाया रु. 14,91,89,709.09/- दिनांक 15.08.2025 तक, साथ ही उसपर ब्याज**

ऋण खाता नं. RJJPJPC000018 **शाखा: जयपुर, उधारकर्ता : श्री सैय्यद ओवैस अली पिता श्री सैय्यद अख्तर अली, श्रीमती राफिया अली पति श्री सैय्यद अख्तर अली, मेसर्स ओवैस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग लिमिटेड अपने निदेशक श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, मेसर्स सैय्यद अख्तर अली अपने साझेदार श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, मेसर्स एसएमओ फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, श्री सैय्यद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद हसन अली, श्री सैय्यद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली, श्री सैय्यद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली सैय्यद, श्री सैय्यद मुर्तुजा अली पिता श्री अख्तर अली सैय्यद, श्री नियामत अली पिता श्री इनायत अली, श्री नूर अली पिता श्री इनायत अली, श्रीमती शमा बी पति श्री सैय्यद नियामत अली, ऋण खाता नं. RJJPJPC000018, मांग सूचना दिनांक: 18.08.2025. कुल बकाया रु. 14,91,89,709.09/- दिनांक 15.08.2025 तक, साथ ही उसपर ब्याज**

ऋण खाता नं. RJJPJPC000019 **शाखा: जयपुर, उधारकर्ता : श्री सैय्यद मुर्तुजा अली पिता श्री अख्तर अली सैय्यद, श्री सैय्यद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली सैय्यद, श्री सैय्यद ओवैस अली पिता श्री सैय्यद अख्तर अली, श्रीमती राफिया अली पति श्री सैय्यद अख्तर अली, मेसर्स ओवैस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग लिमिटेड अपने निदेशक श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, मेसर्स सैय्यद अख्तर अली अपने साझेदार श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, मेसर्स एसएमओ फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, श्री सैय्यद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद हसन अली, श्री सैय्यद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली सैय्यद, श्री नियामत अली पिता श्री इनायत अली, श्री नूर अली पिता श्री इनायत अली, श्रीमती शमा बी पति श्री सैय्यद नियामत अली, ऋण खाता नं. RJJPJPC000019, मांग सूचना दिनांक: 18.08.2025. कुल बकाया रु. 14,91,34,032.09/- दिनांक 15.08.2025 तक, साथ ही उसपर ब्याज**

ऋण खाता नं. RJJPJPC000020 **शाखा: जयपुर, उधारकर्ता : श्री सैय्यद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली सैय्यद, श्री सैय्यद मुर्तुजा अली पिता श्री अख्तर अली सैय्यद, श्री सैय्यद ओवैस अली पिता श्री सैय्यद अख्तर अली, श्रीमती राफिया अली पति श्री सैय्यद अख्तर अली, मेसर्स ओवैस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग लिमिटेड अपने निदेशक श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, मेसर्स सैय्यद अख्तर अली अपने साझेदार श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, मेसर्स एसएमओ फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक श्री सैय्यद अख्तर अली के माध्यम से, श्री सैय्यद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद हसन अली, श्री सैय्यद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली सैय्यद, श्री नियामत अली पिता श्री इनायत अली, श्री नूर अली पिता श्री इनायत अली, श्रीमती शमा बी पति श्री सैय्यद नियामत अली, ऋण खाता नं. RJJPJPC000020, मांग सूचना दिनांक: 18.08.2025. कुल बकाया रु. 10,17,08,519.90/- दिनांक 15.08.2025 तक, साथ ही उसपर ब्याज**

अचल संपत्ति का विवरण: (कब्जा दिनांक : 11 नवंबर, 2025)

संपत्ति नंबर 1 की अनुसूची: सर्वे नंबर 221/1/2 एवं 221/2/2 वाली संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग जो रतलाम में स्थित है। **क्षेत्र माप 3.7600 हेक्टेयर,** सैय्यद मुर्तुजा अली पिता अख्तर अली के नाम पर है एवं इसकी **चर्तुसीमा इस प्रकार हैं: उत्तर:** इसी सर्वे नंबर की शेष भूमि, **पूर्व:** नूर अली की भूमि, **दक्षिण:** रोड़, **पश्चिम:** 220 एवं 231 की भूमि एवं रोड़।

संपत्ति नंबर 2 की अनुसूची: सर्वे नंबर 123/3 वाली संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, जो ग्राम नागरा, रतलाम में स्थित है। **क्षेत्र माप 1.71 हेक्टेयर,** नियामत अली पिता इनायत अली के नाम पर है एवं इसकी **चर्तुसीमा इस प्रकार है: उत्तर:** नूर अली की भूमि, **पूर्व:** रमजान खान पिता रसूल खान की भूमि, **दक्षिण:** सरकारी रोड़, **पश्चिम:** नूर अली की भूमि

संपत्ति नंबर 3 की अनुसूची: सर्वे नंबर 123/6 वाली संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, जो रतलाम के ग्राम नागरा में स्थित है। **क्षेत्र माप 1.70 हेक्टेयर,** नूर अली पिता इनायत अली के नाम पर है एवं इसकी **चर्तुसीमा इस प्रकार है: उत्तर:** क्रेता की भूमि, **पूर्व:** सरकारी रोड़, **दक्षिण:** विक्रेता के इसी सर्वे नंबर की शेष भूमि, **पश्चिम:** आदम खान की भूमि

संपत्ति नंबर 4 की अनुसूची: सर्वे नंबर 123/1/2 वाली संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, जो रतलाम के ग्राम नागरा में स्थित है। **क्षेत्र माप 1.26 हेक्टेयर,** शमा बी पति नियामत अली के नाम पर है एवं इसकी **चर्तुसीमा इस प्रकार है: उत्तर:** सर्वे नंबर 122 की भूमि, **पूर्व:** इसी सर्वे की शेष भूमि, **दक्षिण:** सरकारी रोड़, **पश्चिम:** सर्वे नंबर 123/5

संपत्ति नंबर 5 की अनुसूची: सर्वे नंबर 122/1 वाली संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, जो ग्राम नागरा, रतलाम में स्थित है। **क्षेत्र माप 1.73 हेक्टेयर,** नूर अली पिता इनायत अली के नाम पर है एवं इसकी **चर्तुसीमा इस प्रकार है: उत्तर:** आम रोड़, **पूर्व:** सर्वे नंबर 120 की भूमि, **दक्षिण:** सर्वे नंबर 121/1 एवं 123, **पश्चिम:** सर्वे नंबर 122/2 की भूमि

संपत्ति नंबर 6 की अनुसूची: सर्वे नंबर 221/3 वाली संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग जो रतलाम में स्थित है। **क्षेत्र माप 2.2400 हेक्टेयर,** नूर अली पिता इनायत अली एवं नियामत अली पिता इनायत अली के नाम पर है एवं इसकी **चर्तुसीमा इस प्रकार है: उत्तर:** मोला भाई एवं शरीफ चूह की भूमि, **पूर्व:** सरकारी कांकड़ एवं रोड़, **दक्षिण:** 222 की भूमि एवं रोड़, **पश्चिम:** अख्तर अली की भूमि

संपत्ति नंबर 7 की अनुसूची: सर्वे नंबर 181/8 वाली संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग जो रतलाम में स्थित है। **क्षेत्र माप 0.85 हेक्टेयर,** नूर अली पिता इनायत अली एवं नियामत अली पिता इनायत अली के नाम है एवं इसकी **चर्तुसीमा इस प्रकार है: उत्तर:** बरकत अली की भूमि, **पूर्व:** मशरुफ भाई व अन्य की भूमि, **दक्षिण:** कांकड. रोड, **पश्चिम:** अख्तर अली व अन्य की भूमि

संपत्ति नंबर 8 की अनुसूची: सर्वे नंबर 181/4 वाली संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग जो रतलाम में स्थित है। **क्षेत्र माप 0.40 हेक्टेयर,** नूर अली पिता इनायत अली एवं नियामत अली पिता इनायत अली के नाम पर है एवं इसकी **चर्तुसीमा इस प्रकार है: उत्तर:** अख्तर अली व अन्य की भूमि, **पूर्व:** अख्तर अली व अन्य की भूमि, **दक्षिण:** सरकारी भूमि, **पश्चिम:** बरकत अली की भूमि

संपत्ति नंबर 9 की अनुसूची: सर्वे नंबर 167/1 वाली संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग जो रतलाम में स्थित है। **क्षेत्र माप 0.7500 हेक्टेयर,** नूर अली पिता इनायत अली एवं नियामत अली पिता इनायत अली के नाम पर है एवं जिसकी **चर्तुसीमा इस प्रकार है: उत्तर:** असगर भाई व अन्य की भूमि, **पूर्व:** नाला, **दक्षिण:** इकराम व अन्य की भूमि, **पश्चिम:** शेष भूमि

अचल संपत्ति का विवरण: (कब्जा दिनांक : 12 नवंबर, 2025)

संपत्ति नंबर 1 की अनुसूची: सर्वे नंबर 165/2/1 वाली संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, जो ग्राम सनावदा, रतलाम में स्थित है। **क्षेत्र माप 1.20 हेक्टेयर,** नियामत अली पिता इनायत अली के नाम पर है एवं इसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है: उत्तर: यूसुफ की भूमि, पूर्व: नूर अली को बेची गई इसी सर्वे की शेष भूमि, दक्षिण: रोड़, पश्चिम: मांगीलाल की भूमि

संपत्ति नंबर 2 की अनुसूची: सर्वे नंबर 165/4 वाली संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, जो ग्राम सनावदा, रतलाम में स्थित है। **क्षेत्र माप 0.500 हेक्टेयर,** नियामत अली पिता इनायत अली के नाम पर है एवं इसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है: उत्तर: मांगीलाल भील की कृषि भूमि, पूर्व: मांगीलाल पिता मनाजी बलाई की भूमि, दक्षिण: सरकारी भूमि, पश्चिम: रमेश व अन्य की भूमि

संपत्ति नंबर 3 की अनुसूची: सर्वे नंबर 4 वाली संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, जो ग्राम कालूखेड़ी, रतलाम में स्थित हैं। **क्षेत्र माप 0.48 हेक्टेयर,** नियामत अली पिता इनायत अली के नाम पर है एवं इसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है: उत्तर: सर्वे नंबर 2/4 की भूमि, पूर्व: सर्वे नंबर 3 की भूमि, दक्षिण: सर्वे नंबर 6 की भूमि, पश्चिम: रोड़

संपत्ति नंबर 4 की अनुसूची: सर्वे नंबर 45/4 वाली संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, जो ग्राम गंगाखेड़ी, रतलाम में स्थित है। **क्षेत्र माप 1.12 हेक्टेयर,** नियामत अली पिता इनायत अली के नाम पर है एवं इसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है: उत्तर: अहमद खान व अन्य की भूमि, पूर्व: विक्रेता की भूमि जो नूर अली को बेची गई, दक्षिण: सरकारी रोड़, पश्चिम: अजीज खान व अन्य की भूमि

संपत्ति नंबर 5 की अनुसूची: सर्वे नंबर 227/4 वाली संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, जो ग्राम सालाखेड़ी, रतलाम में स्थित है। **क्षेत्र माप 2.00 हेक्टेयर,** नियामत अली पिता इनायत अली के नाम पर है एवं इसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है: उत्तर: शंभूसिंह जी की भूमि, दक्षिण: रेलवे लाइन, पूर्व: विक्रेता की भूमि जो पहले नूर अली को बेची गई थी, पश्चिम: विक्रेता की शेष भूमि

संपत्ति नंबर 6 की अनुसूची: सर्वे नंबर 225 वाली संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, जो ग्राम सालाखेड़ी, रतलाम में स्थित है। **क्षेत्र माप 0.2400 हेक्टेयर,** नूर अली पिता इनायत अली के नाम पर है एवं इसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है: उत्तर: सर्वे नंबर 224/2 की भूमि, दक्षिण: रेलवे लाइन, पूर्व: सरकारी रोड़, पश्चिम: सर्वे नंबर 227/1 एवं 227/5 की भूमि

संपत्ति नंबर 7 की अनुसूची: सर्वे नंबर 227/3 वाली संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, जो ग्राम सालाखेड़ी, रतलाम में स्थित है। **क्षेत्र माप 2.00 हेक्टेयर,** नूर अली पिता इनायत अली के नाम पर है एवं इसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है: उत्तर: शंभू सिंह की भूमि, दक्षिण: रेलवे लाइन, पूर्व: सरकारी भूमि, पश्चिम: विक्रेता की शेष भूमि

संपत्ति नंबर 8 की अनुसूची: सर्वे नंबर 227 वाली संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, जो रतलाम में स्थित है। **क्षेत्र माप 0.070 हेक्टेयर,** नूर अली पिता इनायत अली एवं नियामत अली पिता इनायत अली के नाम पर है एवं इसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है: उत्तर: 221 की भूमि, पूर्व: 223 की भूमि, दक्षिण: सरकारी रोड़, पश्चिम: 228 की भूमि

संपत्ति नंबर 9 की अनुसूची: सर्वे नंबर 55/1 वाली संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग जो ग्राम सनावदा, रतलाम में स्थित है। **क्षेत्र माप 1.42 हेक्टेयर,** नियामत अली पिता इनायत अली के नाम पर है एवं जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है: उत्तर: सरकारी रोड़, पूर्व: नूर अली को बेची गई उसी सर्वे की शेष भूमि, दक्षिण: रोड़, पश्चिम: शकूरभाई, आलमगीर एवं पाटीदार की भूमि

उपर्युक्त ऋणी/सह-ऋणी को राशि चुकाने के लिए **30 दिनों** का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा बंधक संपत्ति को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के प्रावधानों के अनुसार बेच दिया जाएगा।

ऋणी का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

वास्ते हिन्दूजा लीलैंड फायनेंस लिमिटेड
प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : रतलाम, दिनांक : 17.11.2025